

Indian Citizenship Application — Naturalisation / Registration

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग · तैयार किया गया 29 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

नैचुरलाइज़ेशन या पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता का आवेदन जटिल व साक्ष्य-भारी होता है — योग्य मार्ग व निवास सिद्ध करना, दीर्घ-रूप घोषणाएँ व दस्तावेज़ी साक्ष्य जुटाना, और फ़ीलड-सामग्री तैयार करना — यह टूल करता है ताकि बार-बार लौटाया न जाए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

नागरिकता अधिनियम (Citizenship Act) अनुसार योग्य मार्ग व शर्तें तय कर, घोषणाओं व साक्ष्य सहित आवेदन तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

मार्ग-निर्धारण, दीर्घ-रूप घोषणाओं व दस्तावेज़ी-साक्ष्य सूची का उपयोग नागरिकता आवेदन जुटाने व जमा करने, और आवरण-प्रस्तुतीकरण से निवास व पात्रता स्पष्ट रखने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), ऑनलाइन भारतीय नागरिकता पोर्टल के माध्यम से, ज़िला कलेक्टर/राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

योग्य मार्ग (नैचुरलाइज़ेशन/पंजीकरण) हेतु आवेदन निवास व स्थिति-साक्ष्य, घोषणाओं व शपथपत्रों, और आवश्यक होने पर वर्तमान नागरिकता के परित्याग सहित दाखिल करें; अनुमोदन के बाद निष्ठा-शपथ।

शुल्क और खर्च

मार्ग हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क; जटिलता व साक्ष्य-संकलन को देखते हुए पेशेवर शुल्क संभावित।

इसकी जाँच किससे कराएँ

आप्रवासन वकील — मार्ग, निवास-गणना व साक्ष्य निर्णायक हैं और निर्णय गृह मंत्रालय के पास रहता है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

निवास व पात्रता शर्तें कठोर हैं और निर्णय गृह मंत्रालय के विवेकाधीन; अधूरा साक्ष्य बार-बार लौटाता है। यह मसौदा-सहायता है — वकील से अंतिम कराएँ।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।